संख्या- 15/2016/556/30-3-16-70जीडब्लू/2013

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 14 मार्च, 2016

विषय - सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन), वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 व ग्रेड वेतन रू0 4600/- का ग्रेड वेतन उच्चीकृत करके रू0 4800/- किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग-1) में परिवहन विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-387/दस-54(एम)/2008टी0सी0, दिनॉक 18-03-2011 के प्रस्तर-(17) में लिए गए निर्णय के अनुसार सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन) वेतनमान रू0 6500-10500 पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 व ग्रेड वेतन रू0 4600/- अनुमन्य किया गया था।

2- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2-1851/दस-54एम/2008टी0सी0, दिनॉक 10-10-2011 द्वारा अभियोजन विभाग के सहायक अभियोजन अधिकारी को वेतन बैण्ड-9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/- अनुमन्य किया गया है। सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन) तथा अभियोजन विभाग (गृह विभाग) के सहायक अभियोजन अधिकारी पद की भर्ती का स्रोत व सेवा शर्तें समान होने के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन) को वेतन बैण्ड-2-9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 4600/- के स्थान पर उच्चीकृत ग्रेड वेतन रू0 4800/- शासनादेश निर्गत होने के दिनॉक से अनुमन्य किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनॉक 24-12-2009 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 की अशा0 संख्या-वे0आ0-2-294/दस-2016, दिनॉक 09 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 15/2016/556(1)/30-3-2016, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
5- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in